

प्रतिलिपि पत्र संख्या-4237/सत्तर-6-2007-2(438)/2007 दिनांक 22 नवम्बर, 2007 द्वारा जयपुर, उ००० शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./2398/2007 दिनांक 18.10.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल पूज्य भाऊराव देवरस महाविद्याय, मुक्तापुर(टडवारा), कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
4. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं है ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/ 2746 /2007

दिनांक 28/11/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, पूज्य भाऊराव देवरस महाविद्याय, मुक्तापुर(टडवारा), कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में इंगित शर्तों की पूर्ति/निरन्तरता बनाये रखना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./2398/2007, कानपुर ।
3. सहायक कुलसचिव(बी०एड० प्रवेश परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./2398/2007, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./2398/2007, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब./2398/2007, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)

कुलसचिव

28/11/07

-0710